

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—०९ (राज०), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दरमाष:— ०७४४—२५००१९४

क्रमांक: एफ१३()एफसीए/समुवसं/२०२३/ ३१३९ दिनांक : १४.६.२०२३
निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां

विषय: Construction of Shahbad to Rajpur Road. (Online Proposal No.FP/RJ/ROAD/34657/2018)

संदर्भ: आपका पत्रांक एफ ()एफ.सी.ए./उ.व.सं./२०२२—२३/ ६१९७ दिनांक २२.०५.२०२३ के क्रम में
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर^{सूचनाएं/स्पष्टीकरण} दिया जाना अपेक्षित है:—

1. शाहबाद से राजपुर जाने के लिए वर्तमान में मुण्डीयर से रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। शाहबाद में कोई बड़ी मण्डी भी नहीं है, वैकल्पिक रूट भी मौजूद है फिर प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों है, स्थिति स्पष्ट करें।
2. भाग—ा के बिन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।
3. भाग—ा के बिन्दु I में प्रस्तावित रोड किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नहीं बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नहीं, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शाहबाद से राजपुरा सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की व्यवस्था दी गयी है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। उत्पादित मक में कितना रोड निर्माण में लिया जावे को राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की व्यवस्था प्रस्तुत की जावे।
5. पार्ट—ा के साथ संलग्न शाहबाद से राजपुर रोड की टोपो शीट में बिन्दु E, B व Sी अंकित हैं जबकि इण्डेक्स में डी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इण्डेक्स में वनभूमि तथा प्रस्तावित रोड के पृथक—पृथक चिन्ह अंकित किए हैं जबकि प्रस्तावित रोड भी वनभूमि हेतु निर्धारित चिन्ह से अंकित कर दी गई है।
6. पार्ट—ा के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।
7. पार्ट—ा के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्ताव में आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार सूची में प्रजाति नाम में स्पेलिंग भी गलतियां हैं, सही करें तथा कोष्ठक में साइंटिफिक नाम भी लिखें।
8. प्रस्तावित सड़क निर्माण में आने वाले पेड़ों की जो संकलित गणना रिपोर्ट अपलोड की गयी है वह अस्पष्ट है, स्पष्ट प्रति अपलोड की जानी अपेक्षित है।
9. प्रस्ताव में कुल ५८५ पेड़ आ रहे हैं, इन पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है या नहीं स्पष्ट करें। यदि पेड़ों का कटान होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा इस आशय की व्यवस्था लेवें।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.06.14 17:51:43 IST
Reason: Approved



- आपके द्वारा प्रस्तावित सङ्क के दोनों ओर 6 फिट ऊँचीं दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4-5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये हैं। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नहीं बताया गया है। अण्डरपास कहां-कहां बनेंगे स्पष्ट नहीं है। साथ ही जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स भी उपलब्ध नहीं कराये हैं। इन कार्यों का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।
- स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नहीं होती है। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू को उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसा रिपोर्ट अपेक्षित है।
- चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.00 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है जबकि ले-आउट प्लान में दो खसरा नम्बर में होना दर्शाया है। इसके अलावा नक्शे पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 4 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई जिसका कोई आँचित्य नहीं है। यही भूमि जी0टी0शीट पर 6 जगह बताई है। रिथति स्पष्ट करें तथा रिकार्ड संशोधित करें।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 14:51:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027022

